5रु कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

55

।। श्री ।।

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर
प्रकरण कमांक /13–14 रिवीजन

R - 2174 - PBR/13

मोडीराम आयु 40 वर्ष पिता जोगीजी
जाति भील, निवासी ग्राम गुणावद तहसील
बडनगर जिला उज्जैन म.प्र.
———आवेदक

विरूद्ध

बसंताबाई आयु 50 वर्ष पति थावरजी
जाति भील, निवासी ग्राम गुणावद तहसील
बडनगर जिला उज्जैन म.प्र.
———अनावेदक

**पुनिरीक्षण याचिका धारा 50 भू.रा.सं.**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी बडनगर जिला उज्जैन द्वारा प्रकरण कमांक 5/02–03 पुर्नविलोकन एवं प्रकरण कमांक 3–अ–19/01–02 नायब तहसीलदार बडनगर मे पारित आदेश दिनांक 22/3/2013 को पुर्नविलोकन आदेश के विरूद्ध रिवीजन ।

31.5.13

मान्यवर महोदय,

आवेदक की और से पुनिरीक्षण याचिका निम्नलिखित प्रस्तुत है–

**// प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य //**

01 ग्राम गुणावद तहसील बडनगर जिला उज्जैन मे उज्जैन के प्रकरण कमाक 3–अ–19/01–02 मे आवेदक तथा अनावेदक को कृषि भूमी का बंटन किया जाकर पट्टे प्रदान किये गये । पट्टे मे प्राप्त भूमी का आवेदक व अनावेदक ने न्यायालय तहसीलदार महोदय तहसील बडनगर के आदेश दिनांक 23/12/02 अनुसार विनिमय किया । विनिमय मे आवेदक को भूमी सर्वे नंबर 435, 328 कुल रकबा 0.85 हे. प्राप्त हुई तथा अनावेदक को भूमी सर्वे नंबर 703 रकबा 0.90 प्राप्त हुई । आवेदक व अनावेदक को संशोधित पट्टे जारी किये गये तथा राजस्व अभिलेख खसरे मे नामांतरण किया गया, तब से आवेदक विनिमय मे प्राप्त भूमी को काबिल कास्त व उन्नत बनाकर 12 वर्ष से कास्त कर रहा है तथा अनावेदक विनिमय मे प्राप्त भूमी पर काबिज होकर

**XXIX(a)-BR(H)-11**

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** - निगरानी-2174-पीबीआर/13 **जिला** - उज्जैन

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| **26.10.2018** | आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 03.01.19 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों।<br><br>**प्रशासकीय सदस्य** | |